प्रार्थना पत्र सु0 नं0 156/21 उनवानी कल्याणी वगै0 बनाम कमलेशी वगै0

न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी–अनूप सिंह आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
156/2021	18.04.2021	18.07.2024

उनवान

1.कल्याणी पत्नि रामभरोसी जाति मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर ।
2.कैलाशी पत्नि जयराम जाति मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1.कमलेशी पुत्री रामजीलाल
2.भरतलाल पुत्र रामजीलाल
3.मुथरी पत्नि स्व0 रामजीलाल
4.हरिकिशन पुत्र ठण्डी
5.दीपराम पुत्र रामजीलाल

जाति मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर ।

6.लैण्डहोल्डर द्वारा तहसीलदार वजीरपुर तहसील वजीरपुर ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0
बाबत कराये जाने पत्थर गढी।

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री सतीश कुमार शर्मा प्राथीगण की ओर से
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही।

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1817/1771 रकवा 0.44 है0, 1818/1771 रकवा 0.43 है0 वाके ग्राम वडौली तहसील वजीरपुर में स्थित है जिस पर काबिज रहकर प्रार्थीगण अपनी भूमि से लाभांवित होते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि से लगती हुयी उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण 1 ता 3 की भूमि खसरा नंबर 1816/1771 रकवा 0.77 है0 तथा दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की भूमि खसरा नंबर 1808/1771 रकवा 0.59 है0 स्थित है प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण आये दिन भूमि की सीमाओ के लेकर परेशाान करते रहते है तथा भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है। उक्त सीमा विवाद के कारण प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान हेंतु तहसीलदार को एक प्रार्थना पेश किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.06.2020 को प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर भूमि की सीमाओ से प्रार्थीगण को अवगत कराया। प्रार्थीगण पटवारी हल्का द्वारा बताए गये सीमा चिन्हो के अनुसार भूमि काश्त कर भूमि से लाभांवित होते चले आ रहे है। परन्तु अप्रार्थीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है और उन्होने पटवारी हल्का द्वारा लगाये गये सीमा चिन्हो को मानने से मना कर दिया तथा दिनांक 28.01.2021 को पुनः सीमाओं को लेकर विवाद किया और कहा की यदि तुम्हे अपनी भूमि में कोई विवाद नही चाहिए तो अपनी भूमि में पत्थर गढी करा लो तभी विवाद का सही रुप से समाधान हो सकेगा इसलिए प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित किये गये लाल रंग की सीमाओं की पत्थर गढी के आदेश तहसीलदार वजीरपुर को दिये जावे तथा निर्देशित किया जावे कि आवश्यकता होने पर वे पुलिस सहायता से पत्थरगढी करवाये।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगढ को जारिए नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज फर्द मौका रिपोर्ट 18.06.2020 बाबत सीमाज्ञान नजरी नक्शा , नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत् 2074 – 2077 खाता सं0 46, नकल जमाबंदी संवत् 2074 – 2077 खाता सं0 236, नकल जमाबंदी संवत् 2074 – 2077 खाता सं0 224, वाके ग्राम वडौली तहसील वजीरपुर पेश किये।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरुप बहस करते हुए अपनी खातेदारी भूमि से लगती हुई अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमाओ जिन्हे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है कि पत्थरगढी के लिए निवेदन किया है तथा कहा कि प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 18.06.2020 को करवा लिया है तथा पटवारी हल्का द्वारा बताये सीमा चिन्हो के अनुसार काबिज होकर प्रार्थी अपनी भूमि को काश्त कर रहे है। सीमाज्ञान की रिपोर्ट व प्राथीगण व अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की जमाबंदी , नक्शा ट्रेस पत्रावली में पेश कर दिये गये है। अप्रार्थीगण ने पटवारी हल्का द्वारा बताये गये सीमा चिन्हो को मानने से इन्कार कर दिया है इसलिएं प्रार्थीगण की भूमि की सीमाए जिन्हे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है की पत्थरगढी पुलिस सुरक्षा में करवायी जावे । अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य सीमाओ को लेकर आपसी विवाद है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का पटवारी हल्का से कराये गये सीमाज्ञान को अप्रार्थीगण मानने को तैयार नही है इसलिए प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढी प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार कराये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण को सूचना दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नही हुऐ। जिससे यह माना जाता है कि अप्रार्थीगण अनावश्यक रुप से प्रार्थीगण से उनकी खातेदारी की भूमि की समीओं के लेकर विवाद करते है इसलिए प्रार्थीगण भूमि की सीमाएं जिन्हे नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगणं स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1817/1771 रकवा 0.44 है0, 1818/1771 रकवा 0.43 है0 वाके ग्राम वडौली तहसील वजीरपुर जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की समीओं को नकल नक्शा ट्रेस के अनुसार जिन्हें नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है का मौके पर जाकर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार वजीरपुर को दिये जाते है। आवश्यकता होने पर तहसीलदार वजीरपुर थानाधिकारी से पुलिस सहायता प्राप्त कर पत्थरगढी करवाया जाना सुनिश्चित करे। नजरी नक्शा निर्णय का जुज रहेगा। आदेश की पालना हेतु निर्णय की एक प्रति तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 18.07.2024 को सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
(गंगापुर सिटी)

उपखण्ड अधिकारी / कलेक्टर
वजीरपुर